राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :–संस्था/चि0अ0/एटी/प035/10/40 दिनांक:–23/08/10

-: आदेश :-

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 17(14)चिस्वा/2/2010 दिनांक 12/05/10 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 14/05/10 के अनुसरण में निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक 153 दिनांक 12/05/10 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 671 दिनांक 13/05/10 के क्रम में चयन समिति की सिफारिश पर Urgent Temporary Basis पर चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दिनांक 01/07/10 से प्रथमतः 6 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक दोनों में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये **अनुकूल चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने की सशर्त पर** नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है:–

क्रम सं0	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	डा0 भागीरथ भाम्बु पुत्र श्री रामचन्द्र भाम्बु, क्वार्टर–ए, प्रा.स्वा.केन्द्र, भादासर, चुरू।	30-10-79	GEN	M	प्रा0स्वा0केन्द्र भादासर (चुरू)

उपरोक्त चिकित्सक की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे।

6 माह की अवधि पूर्ण होने पर अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्याथी उपलब्ध होने पर इसके पश्चात इनके आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे। इनकी सेवायें बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त चिकित्सक को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नही करना है।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर।
6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट/अनुकूल चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अभ्यार्थी के कार्यग्रहण करवायें एवं कार्यग्रहण की सूचना भिजवावें।
8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा।
10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को अभ्यार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों आदि सहित।
11) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम मुख्यालय।
12) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर